संख्या- 22/2019/ 2481/अड़तीस-7-19-46नरेगा/2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 11 अक्टूबर, 2019

विषयः- मनरेगा योजनान्तर्गत निर्मित तालाबों में रेन वॉटर हारवेस्टिंग के माध्यम से भूजल स्तर को रिचार्ज करने के संबध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु लगभग 80 प्रतिशत निर्भरता भूगर्भ जल पर है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निवासियों एवं पशुओं हेतु लगभग 85 प्रतिशत पेय जल की व्यवस्था भूगर्भ जल के माध्यम से ही की जाती है। विगत वर्षों में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण एवं कृषि क्षेत्र में विविध फसलों के उत्पादन हेतु भूगर्भ जल स्रोतों का अनियन्त्रित एवं अंधाधुन्ध दोहन किया जा रहा है, जिससे भूगर्भ जल स्तर में काफी गिरावट आयी है।

2- उपर्युक्त के अनुक्रम में उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल सामान्यतः व्यर्थ चला जाता है जबकि इससे भूगर्भ जल स्ट्रेटा(AQUIFIERS) को वैज्ञानिक मापदण्डों के अनुसार रिचार्ज किया जा सकता है। इससे भूगर्भ जल के स्तर में बढ़ोत्तरी होगी किन्तु इन तकनीकी एवं विधाओं का चयन हाइड्रोजियोलाजिकल परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिये। वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज प्रणाली हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जगह की उपलब्धता पर्याप्त रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से वर्षा जल से भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने हेतु निम्न SURFACE SPREADING TECHNIQUE प्रचलित है, जो कि मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत अनुमन्य कार्यश्रेणी मे सम्मिलित हैः-

1- तालाब (जीर्णोद्धार/नव निर्माण)
2- रिचार्ज शाफ्ट (क्षेत्रीय अनुकूलता पर निर्भर)
3- चेक डैम
4- गैबियन स्ट्रक्चर
5- नाला प्लगिंग
6- रिचार्ज कूप
7- अनुपयोगी जल हेतु रिचार्ज पिट

3- उक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत नव निर्मित/जीर्णोद्धार किये गये तालाब वर्षा जल संग्रहण एवं भूजल रिचार्ज का एक सशक्त माध्यम है इसलिये रिचार्ज पिट स्थानीय हाइड्रोजियोलाजिकल परिस्थितियों का आंकलन करते हुये बनाया जाना आवश्यक होगा तथा इसके लिये ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाये जहां वर्षा के पश्चात नवम्बर माह में जल स्तर भूस्तर से 08 मी0 से अधिक गहरा हो तथा वर्षा से पूर्व की अवधि मे वार्षिक जल स्तर गिरावट 20 से0मी0 से अधिक हो, बुन्देलखण्ड/पठारी क्षेत्रों में 08 मी0 की सीमा को 05 मी0 लिया जायेगा।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रिचार्ज पिट का निर्माण करते समय यह अवश्य आंकलित करा लिया जाये कि वर्षा जल का कैचमेन्ट सुरक्षित हो तथा वर्षा जल के साथ प्रदूषित जल जाने की संभावना ना हो। भूगर्भ जल संवर्द्धन हेतु तालाबों में 1.5X 1.5 X 2 साइज के अथवा आवश्यकतानुसार अन्य साइज के रिचार्ज पिट बनाये जा सकते है। इसके साथ ही सिल्ट रोकने हेतु इस पिट में फिल्टर सामग्री का उपयोग अवश्य किया जाये।

4- उल्लेखनीय है कि RAIN WATER HARVESTING से संबधित कार्यों के संबध में जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड के स्तर से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है, जिनका संज्ञान लेते हुये रिचार्ज सॉफ्ट को भूगर्भ जल विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग के तकनीकी पर्यवेक्षण में निर्मित कराया जाये।

कृपया ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित कराये जा रहे तालाबों में वर्षा जल से भूजल संभरण हेतु मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यों की अनुमन्यता की सीमा तक उपरोक्तानुसार तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या- 22/2019/ 2481(1)/अड़तीस-7-2019 तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4- अपर आयुक्त,मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
6- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
7- समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।
8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।